



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244938
CG-DL-E-05042023-244938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1568]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

No. 1568]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1647(अ).— यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुनदुरई ग्राम, इरोड जिले में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 916(अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2008, का.आ. 6475(अ) दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 एवं का.आ. 267(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2022 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 105.445 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को अधिसूचित एवं 26.407 हेक्टेयर तथा 9.255 हेक्टेयर के दो क्षेत्रों को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 12.942 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, तमिलनाडु सरकार ने पत्र संख्या 4597/एमआईई.2/2022-1 दिनांक 06 जून, 2022 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने 12.942 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनधिसूचना के बाद, उक्त भूमि का उपयोग डीटीए उद्देश्य के लिए किया जाएगा;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 12.942 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 56.841 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एस एफ संख्याएँ और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	एस. एफ. संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पेरूनदुरई	268 भाग	0.008
2.		271 भाग	0.760
3.		390 भाग	1.785
4.		391 भाग	1.662
5.		378	2.560
6.		379	2.400
7.		380 भाग	1.537
8.		383 भाग	0.086
9.		384 भाग	1.636
10.		385 भाग	0.168
11.		386 भाग	0.340
कुल			12.942
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			56.841

[फा. सं. एफ. 1/119/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(SEZ SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2023

S.O. 1647(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Engineering Sector at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, Industrial Growth Centre, Perundurai Village, Erode District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 105.445 hectares and de-notified two areas of 26.407 hectares and 9.255 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 916(E) dated 23rd April, 2008, S.O. 6475(E) dated 26th December, 2018, and S.O. 267 (E) dated 17th January, 2022, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 12.942 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 4597/MIE.2/2022-1 dated 06th June, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 12.942 hectares of the above the Special Economic Zone. Further, after the de-notification, the land will be utilized for DTA purpose;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 12.942 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 56.841 hectares. The S.F. numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	S. F. No.	Total Area (in Hectares)
1.	Perundurai	268 PT	0.008
2.		271 PT	0.760
3.		390 PT	1.785
4.		391 PT	1.662
5.		378	2.560
6.		379	2.400
7.		380 PT	1.537
8.		383 PT	0.086
9.		384 PT	1.636
10.		385 PT	0.168
11.		386 PT	0.340
Total			12.942
Grand Total Area of SEZ after above deletion			56.841

[F. No. F. 1/119/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.